

The numbering of topographical maps related to the Rajasthan Housing Board (RHB) typically follows a systematic approach for easy identification and reference. Here's a general understanding of how topographical maps may be numbered and organized:

Location-Based Identification:

The numbering of topographical maps often begins with a location-based system. Each map sheet covers a specific geographical area, such as a city, town, or region within Rajasthan.

Map Series or Project Name:

Maps related to RHB projects may have a series name or project identifier in their numbering. This helps in distinguishing maps associated with different developments or initiatives.

Sheet Number or Code:

Each map sheet within a series or project is typically assigned a unique sheet number or code. This number identifies the specific sheet within the series and is used for reference.

Scale Information:

Topographical maps often include scale information in their numbering. This indicates the scale at which the map is drawn, such as 1:10,000 or 1:25,000. Scale is crucial for understanding the level of detail on the map.

Additional Information:

Depending on the specific requirements and conventions used by the Rajasthan Housing Board, additional information may be included in the map numbering. This could include the date of publication, revision number, or other relevant details.

Here's an example of how a topographical map related to the Rajasthan Housing Board might be numbered:

Series or Project Name: "RHB Master Plan"

Location: "Jaipur City"

Sheet Number: "Sheet 001"

Scale: "1:10,000"

Date: "2023"

Revision: "Rev. 1"

In this example, "RHB Master Plan" indicates the project or series, "Jaipur City" specifies the geographical area covered, "Sheet 001" is the unique sheet identifier, "1:10,000" denotes the scale, "2023" is the publication date, and "Rev. 1" signifies the revision number.

Please note that the actual numbering system used by the Rajasthan Housing Board may vary depending on their internal conventions and the specific mapping requirements of their projects. It's essential to consult RHB's official documentation or mapping guidelines for precise information on map numbering for their topographical maps.

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (आरएचबी) से संबंधित स्थलाकृतिक मानचित्रों की संख्या आमतौर पर आसानी से पहचान और संदर्भ के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करती है। यहां इस बारे में सामान्य समझ दी गई है कि स्थलाकृतिक मानचित्रों को कैसे क्रमांकित और व्यवस्थित किया जा सकता है:

1. **स्थान-आधारित पहचान:** स्थलाकृतिक मानचित्रों की संख्या अक्सर स्थान-आधारित प्रणाली से शुरू होती है। प्रत्येक मानचित्र शीट एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को कवर करती है, जैसे कि राजस्थान के भीतर एक शहर, कस्बे या क्षेत्र को।
2. **मानचित्र श्रृंखला या परियोजना का नाम:** आरएचबी परियोजनाओं से संबंधित मानचित्रों की संख्या में एक श्रृंखला का नाम या परियोजना पहचानकर्ता हो सकता है। यह विभिन्न विकासों या पहलों से जुड़े मानचित्रों को अलग करने में मदद करता है।
3. **शीट संख्या या कोड:** किसी श्रृंखला या प्रोजेक्ट के भीतर प्रत्येक मानचित्र शीट को आमतौर पर एक अद्वितीय शीट नंबर या कोड सौंपा जाता है। यह संख्या श्रृंखला के भीतर विशिष्ट शीट की पहचान करती है और संदर्भ के लिए उपयोगी होती है।
4. **स्केल सूचना:** स्थलाकृतिक मानचित्रों में अक्सर उनकी संख्या में पैमाने की जानकारी शामिल होती है। यह उस पैमाने को इंगित करता है जिस पर नक्शा बनाया गया है, जैसे 1:10,000 या 1:25,000। मानचित्र पर विवरण के स्तर को समझने के लिए पैमाना महत्वपूर्ण है।
5. **अतिरिक्त जानकारी:** राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और परंपराओं के आधार पर, मानचित्र क्रमांकन में अतिरिक्त जानकारी शामिल की जा सकती है। इसमें प्रकाशन की तारीख, संशोधन संख्या या अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल हो सकते हैं।

यहां एक उदाहरण दिया गया है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से संबंधित स्थलाकृतिक मानचित्र को कैसे क्रमांकित किया जा सकता है:

- श्रृंखला या परियोजना का नाम: "आरएचबी मास्टर प्लान"
- स्थान: "जयपुर शहर"
- शीट संख्या: "शीट 001"
- स्केल: "1:10,000"
- दिनांक: "2023"
- संशोधन: "रेव. 1"

इस उदाहरण में, "आरएचबी मास्टर प्लान" परियोजना या श्रृंखला को इंगित करता है, "जयपुर शहर" कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है, "शीट 001" अद्वितीय शीट पहचानकर्ता है, "1:10,000" पैमाने को दर्शाता है, "2023" प्रकाशन है दिनांक, और "रेव. 1" संशोधन संख्या को दर्शाता है।

कृपया ध्यान दें कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की विशिष्ट मानचित्र क्रमांकन प्रणाली उनकी आंतरिक आवश्यकताओं और परंपराओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। उनके स्थलाकृतिक मानचित्रों के लिए मानचित्र क्रमांकन की सटीक जानकारी के लिए आरएचबी के आधिकारिक दस्तावेज या मानचित्रण दिशानिर्देशों से परामर्श लेना आवश्यक होगा।